



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052020-219427  
CG-DL-E-18052020-219427

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 18, 2020/वैशाख 28, 1942

No. 226]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 18, 2020/VAISAKHA 28, 1942

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2020

सा.का.नि. 300(अ).—केंद्रीय सरकार खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 की सं. 67) की धारा 13 की उप-धारा (1) और धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (घ), (घक), (घख) और (घग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयला ब्लॉक आवंटन नियम, 2017 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कोयला ब्लॉक आवंटन (संशोधन) नियम, 2020 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. कोयला ब्लॉक आवंटन नियम, 2017 (जिसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 के उप-नियम (1) में—
  - (i) खंड (घ) में, “अधिनियम की धारा 11क के खंड (क) और (ख) के परंतुक” शब्दों और अंकों के स्थान पर “अधिनियम की धारा 11क की उप-धारा (1) का परंतुक” शब्द रखे जाएंगे।
  - (ii) खंड (ज) में, “कीमत” शब्दों के स्थान पर “कीमत या प्रतिशतता” शब्द रखे जाएंगे।
  - (iii) खंड (ण) में, “कीमत” शब्दों के स्थान पर “कीमत या प्रतिशतता” शब्द रखे जाएंगे।
  - (iv) खंड (भ) में, “कीमत” शब्दों के स्थान पर “कीमत या प्रतिशतता” शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (ख) में “अधिनियम की धारा 11क का परंतुक” शब्दों और अंकों के स्थान पर “अधिनियम की धारा 11क की उप-धारा (1) का परंतुक” शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 5 में -

(I) उप-नियम (5) में -

(i) खंड (ड.) में, “विनिर्दिष्ट किए गए” शब्दों के स्थान पर “निविदा दस्तावेज में जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (च) में, “या दोनों को विनिर्दिष्ट करें जिन्हें किसी निगम या मूल कंपनी या उसकी सहायक कंपनी या समूह को आबंटित किया जा सकता है” शब्दों के स्थान पर “या कोयला उत्पादन या इसके किसी भी संयोजन, जिसका किसी कंपनी या निगम या इसकी धारक कंपनी या संबद्ध कंपनी को आबंटन किया जा सकता है, के संबंध में किसी अन्य मानदण्ड पर आधारित सीमा” शब्द रखे जाएंगे;

(II) उप-नियम (8) में -

(i) “वह बोलीदाता जिसके पास कोयला लिंकेज है सफल बोलीदता बन जाता है” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) “केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए” शब्दों के स्थान पर “निविदा दस्तावेज में केंद्रीय सरकार द्वारा जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए” शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 6 में:-

(क) उप-नियम (4) के खंड (छ) में, “या दोनों जिन्हें किसी कंपनी या उसकी सहायक कंपनी या निगम या इसकी सहायक कंपनी या सहायक कंपनियों को आबंटित किया जा सकता है” शब्दों के स्थान पर “या कोयला उत्पादन या इसके किसी भी संयोजन, जिसका किसी कंपनी या निगम या इसकी धारक कंपनी या सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी या समूह कंपनी या इसकी संबद्ध कंपनी को आबंटन किया जा सकता है, के संबंध में किसी अन्य मानदण्ड पर आधारित सीमा” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (5) में,

(i) “कोयला लिंकेज धारक आवेदक सफल आबंटिती है तब अन्त्य उपयोग संयंत्र के लिए कोयला लिंकेज जिसके आधार पर आबंटिती घोषित है”, के अनुसार शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) “जैसा केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करें” शब्दों के स्थान पर “आबंटन दस्तावेज में केंद्रीय सरकार द्वारा जैसा विनिर्दिष्ट करें” शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों के नियम 7 में “अधिनियम की धारा 11क का परंतुक” शब्दों और अंकों के स्थान पर “अधिनियम की धारा 11क की उप-धारा (1) का परंतुक” शब्द रखे जाएंगे।

7. उक्त नियमों के नियम 8 में,-

(i) उप-नियम (6) में, “या खनन पट्टा” शब्दों के पश्चात “या पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन-पट्टा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-नियम (7) में, “खनन पट्टा प्रदान किए जाने पर” शब्दों के स्थान पर “कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004 के नियम 9 के अधीन खान खोलने की अनुज्ञा प्रदत्त किए जाने पर” शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उप-नियम (8) में, “संबंधित राज्य सरकार” शब्दों से आरंभ होने वाले और “खनन योजना उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु सफल आवंटिती से अपने पक्ष में निष्पादन बैंक गारंटी दी जाएगी” शब्दों से समाप्त होने वाले शुरूआती भाग के लिए निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004 के नियम 9 के तहत खान खोलने की अनुमति प्रदत्त किए जाने पर, खनन योजना के अनुसार कोयला उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए उप-नियम (4) के तहत केंद्रीय सरकार को सफल आवंटिती द्वारा जमा की गई निष्पादन बैंक गारंटी के बराबर राशि के लिए सफल आवंटिती राज्य सरकार के पक्ष में शर्त रहित और अपरिवर्तनीय निष्पादन बैंक गारंटी उपलब्ध कराएगा।”

(iv) उप-नियम (10) में, -

(क) खंड (घ) में, “खनन पट्टा” शब्दों के स्थान पर “सर्वेक्षण परमिट, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा” शब्द रखे जाएंगे।

(ख) खंड (ङ) में, “खनन पट्टा” शब्दों के स्थान पर “सर्वेक्षण परमिट, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा” शब्द रखे जाएंगे।

8. उक्त नियमों के नियम 10 में, -

(i) उप-नियम (1) में, “सफल आवंटिती अथवा कोयला लिंकेज धारक जैसा भी मामला हो कतिपय करार या व्यवस्था हेतु प्राप्त होंगे” शब्दों के स्थान पर “सफल आवंटिती अथवा कोयला लिंकेज धारक, जैसा भी मामला हो, कतिपय करार या व्यवस्था करने हेतु पात्र होंगे” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (2) में, “या कोयला लिंकेजधारी” शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 11022/01/2015-सीए-III]

भवानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि. 877(अ) तारीख 13 जुलाई, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF COAL

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2020

**G.S.R. 300(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 and clauses (d), (da), (db) and (dc) of sub-section (2) of section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Coal Blocks Allocation Rules, 2017, namely:—

1. (1) These rules may be called the Coal Blocks Allocation (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Coal Blocks Allocation Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1),—

(i) in clause (d), for the words and figure “the proviso to section 11A of the Act”, the words “the proviso to sub-section (1) of section 11A of the Act” shall be substituted;

(ii) in clause (j), for the words “the price”, the words “a price or percentage” shall be substituted;

(iii) in clause (o), for the words “the price”, the words “a price or percentage” shall be substituted;

(iv) in clause (x), for the words “the price”, the words “a price or percentage” shall be substituted.

**3.** In the said rules, in rule 3, in sub-rule (1), in clause (b), for the words and figure “the proviso to section 11A of the Act”, the words and figures “the proviso to sub-section (1) of section 11A of the Act” shall be substituted.

**4.** In the said rules, in rule 5,—

(I) in sub-rule (5),—

(i) in clause (e), for the words “as may be specified”, the words “as may be specified in the tender document” shall be substituted;

(ii) in clause (f), for the words “or both that may be allocated to a company or corporation or its subsidiary or parent company”, the words “or a limit based on any other parameter regarding production of coal or any combination thereof that may be allocated to a company or corporation or its holding company or subsidiary company” shall be substituted;

(II) in sub-rule (8),—

(i) the words “for the end use plant on the basis of which it became a successful bidder” shall be omitted;

(ii) for the words “as may be specified by the Central Government”, the words “as may be specified by the Central Government in the tender document” shall be substituted.

**5.** In the said rules, in rule 6,—

(a) in sub-rule (4), in clause (g), for the words “or both that may be allocated to a company or corporation or its subsidiary or associate companies”, the words “or a limit based on any other parameter regarding production of coal or any combination thereof that may be allocated to a company or corporation or its holding company or subsidiary company or associate companies or group companies or its affiliate” shall be substituted;

(b) in sub-rule (5),—

(i) the words “for the end use plant on the basis of which it became a successful allottee” shall be omitted;

(ii) for the words “as may be specified by the Central Government”, the words “as may be specified by the Central Government in the allotment document” shall be substituted.

**6.** In the said rules, in rule 7, for the words and figure “the proviso to section 11A of the Act”, the words and figures “the proviso to sub-section (1) of section 11A of the Act” shall be substituted.

**7.** In the said rules, in rule 8,—

(i) in sub-rule (6), after the words “or mining lease”, the words “or prospecting licence-cum-mining lease” shall be inserted;

(ii) in sub-rule (7), for the words “upon grant of the mining lease”, the words “upon grant of the mine opening permission under rule 9 of the Colliery Control Rules, 2004” shall be substituted;

(iii) in sub-rule (8), for the opening portion beginning with the words “The State Government concerned” and ending with the words “as per the mining plan:” the following shall be substituted, namely:—

“Upon grant of the mine opening permission under rule 9 of the Colliery Control Rules, 2004, the successful allocatee shall provide an unconditional and irrevocable performance bank guarantee in favour of the State Government for the amount equivalent to the performance bank guarantee submitted by it to the Central Government under sub-rule (4) for ensuring the production of coal as per the mining plan:”

(iv) in sub-rule (10),—

(a) in clause (d), for the words “mining lease”, the words “reconnaissance permit, prospecting licence, mining lease or prospecting licence-cum-mining lease” shall be substituted;

(b) in clause (e), for the words “mining lease”, the words “reconnaissance permit, prospecting licence, mining lease or prospecting licence-cum-mining lease” shall be substituted.

**8.** In the said rules, in rule 10,—

(i) in sub-rule (1), for the words “the successful allocatee or coal linkage holder shall”, the words “the successful allocatee shall” shall be substituted;

(ii) in sub-rule (2), the words “or a coal linkage holder” shall be omitted.

[F. No. 11022/01/2015-CA-III]

BHABANI PRASAD PATI, Jt Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 877(E) dated the 13th July, 2017.